

दुगा पुजा / मुहरम - 2017

107 द. प्र. स. 0

न्यायालय, अनुमंडल दण्डाधिकारी,
खूँटी,

मोहम्मद सरकार
बनाम

M-89 / 2017 आदेश पत्रक

वैमन हसन

काय

23/9/12

अभिलेख संख्या :- एम. 89 / 2017 धारा :- 107 द. प्र. स.

थाना प्रभारी काय के अप्राथमिकी संख्या :- 12/17

3/9

23/9/12

प्रस्तुत पुलिस प्रतिवेदन / आवेदन से सूचना मिली है कि :-

जिससे संभवना है कि परिशांति भंग होगी या लोक परिशांति क्षुब्ध होगी या विपक्षी कोई ऐसा असंतोषकारी कार्य करेगा जिससे परिशांति भंग हो जायेगी या लोक परिशांति क्षुब्ध हो जाएगी ।

अतः मैं अनुमंडल दण्डाधिकारी, खूँटी, उक्त पुलिस प्रतिवेदन के आधार पर संतुष्ट होकर द. प्र. स. 0 की धारा 107 के अन्तर्गत कार्यवाही आरंभ करता हूँ । द्वितीय पक्ष के विरुद्ध सूचना निर्गत करें कि वे कारण दर्शित करें कि उन्हें एक वर्ष तक परिशांति कायम रखने के लिए उससे / उनसे प्रत्येक को एक हजार रुपये का बंध - पत्र उसी राशि के दो जमानतदारों के साथ दाखिल करने हेतु आदेश क्यों नहीं दिया जाय ।

दिनांक :- 26/9/12 को उपस्थापित करें ।

अनुमंडल दण्डाधिकारी,

खूँटी

15/3/18 विपरी अनुपस्थित। यूवा: दि. 27/3/18
दा 22वें

27/3/18 विपरी अनुपस्थित। यूवा: दि. 10/4/18 दा
22वें

10/4/18 विपरी अनुपस्थित यूवा: दि. 3/5-1/18 दा
22वें

3/5/18 विपरी अनुपस्थित यूवा: दि. 15-15-118 दा
22वें

15/5/18 विपरी अनुपस्थित। धाना प्रभाती करी ये
खिलीय पहा के आन्वुज एकैकी उभिकेन
अनुपस्थितं एमय सीमा एमय होने के कारण
बाद की कार्यवाही के लिए धाना था

15/5/18